न्यायालयः–दिलीप माहोर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुक्षी जिला धार (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रमांक 243 / 2020
फाईलिंग नंबर–आरसीटी / 730 / 2020
सी.एन.आर.नं.एम.पी.–11090009332020
संस्थित दिनांक–24 / 07 / 2020

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–डही
जिला–धार (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

/ / विरूद्ध / /

ढोकलसिंह पिता देवीसिंह भीलाला, उम्र 32 वर्ष,
निवासी करजवानी थाना डही,
जिला धार म.प्र ..... **अभियुक्त**

आरक्षी केन्द्र–डही जिला धार के अपराध क्रमांक–51 / 2020, अंतर्गत धारा–25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम से उद्भुत दांडिक प्रकरण।

/ / निर्णय / /
(आज दिनांक–11.05.2022 को घोषित)

(01). अभियुक्त ढोकलसिंह के विरूद्ध धारा– 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 21.06.2020 को समय शाम 05:20 से 05:30 बजे थाना डही के अंर्तगत अराडा रोड, डही अर्थात एक सार्वजनिक स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–(दो–बी) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन करते हुये एक लोहे का धारदार फालिया को वैध अनुज्ञप्ति के बिना आयुध अधिनियम की धारा 04 सहपठित धारा 43 के उल्लंखन में उसके आधिपत्य में रखा।

(02). अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि घटना दिनांक 21.06.2020 को सहायक उपनिरीक्षक डी.एस. सस्तिया हमराह आर. 479 लक्ष्मण के साथ कस्बा

भ्रमण करते हुये अराडा रोड डही पहुंचा जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फालिया हाथ में लेकर घूम रहा था व फालिया को लहरा रहा था। जिसे देखकर लोग भयभीत हो रहे थे। तब हमराही फोर्स व राहगीर पंचान रवि एवं महेन्द्र की मदद से घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकडा एवं नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने उसका नाम ढोकलसिंह पिता देवीसिंह भीलाला, उम्र 30 वर्ष, निवासी करजवानी का होना बताया। उक्त व्यक्ति से फालिया रखने एवं ले जाने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया तब अभियुक्त का कृत्य धारा 25बी आयुध अधिनियम के अंतर्गत होने से पंचानों के समक्ष लोहे का धारदार फालिया जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया एवं अभियुक्त ढोकलसिंह को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक तैयार किया। मौके पर जप्त फलिया पर जप्ती चीट लगाई एवं आरोपी ढोकलसिंह को मय फालिया वापस थाना लाकर जप्त फालिया एचसीएम के जिम्मे किया एवं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

(03). विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये, प्रकरण का रोजनामचा सान्हा संलग्न किया एवं मध्य प्रदेश राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–(दो–बी) दिनांक 22.11.74 प्रकरण में संलग्न कर अभियुक्त का अपराध अंतर्गत धारा 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम का होने से संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष विचारणार्थ प्रस्तुत किया।

(04). अभियुक्त के विरूद्ध 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता एवं आरोप के संबंध में पूछे जाने पर उसके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

(05). प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन साक्ष्य में तथ्य प्रकट होने से अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. पूर्ण किया गया जिसमें अभियुक्त द्व ारा यह व्यक्त किया गया कि उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है वह निर्दोष है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है।

(06). **प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न है कि :–**

(i) क्या अभियुक्त ढोकलसिंह ने दिनांक 21.06.2020 को समय शाम 05:20 से 05:30 बजे थाना डही के अंर्तगत अराडा रोड, डही अर्थात एक सार्वजनिक स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य शासन की अधिसूचना कमांक 6312–6552–(दो–बी) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन करते हुये एक लोहे का धारदार फालिया को वैध अनुज्ञप्ति के बिना आयुध अधिनियम की धारा 04 सहपठित धारा 43 के उल्लंखन में उसके आधिपत्य में रखा?

(ii) दोषसिद्धि व दण्डादेश ?

//विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष//

–: अवधारणीय प्रश्न कमांक (i) का निराकरण :–

(07). **अभियोजन साक्षी महेन्द्रसिंह बामनया (अ.सा.–01)** ने उसके न्यायालयीन कथनों में मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त को पहचानता है। पुलिस ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये और अभियुक्त को गिरफतार नही किया किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 01 व गिरफतारी पत्रक पदर्श पी 02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके कथन नही लिये थे।

(08). **अभियोजन साक्षी रवि राठौड (अ.सा.–02)** ने उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्त ढोकलसिंह को नही पहचानता है। पुलिस ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाये और अभियुक्त को गिरफतार नही किया किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 01 व गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी 02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके कथन नही लिये थे।

(09). **अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा.–03)** ने उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 21.06.2020 को थाना डही में स.उ.नि. के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को हमराह सैनिक 479 लक्ष्मण के

साथ कस्बा भ्रमण करते हुये अराडा रोड डही पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार फालिया लेकर घूम रहा था व फालिये को लहरा रहा था। जिसे देखकर आने–जाने वाले भयभीत हो रहे थे। राहगीर पंचान रवि व महेन्द्र के साथ घेरा बंदी कर पकडा, उसका नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम ढोकलसिंह पिता देवीसिंह, भीलाला, निवासी करजवानी का होना बताया। फालिया रखने के संबंध में लायसेंस होना पूछा तो नही होना बताया। साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मय आरोपी हाथियार लेकर थाने पर आये और अपराध क्रमांक 51/2020 धारा 25बी आयुध अधिनियम 1959 की पंजीबद्ध किया जो प्रदर्श पी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रोजनामचा सान्हा प्रकरण के साथ संलग्न किया गया है।

(10). पंच साक्षी महेन्द्रसिंह (अ.सा.–01) एवं पंच साक्षी रवि राठौड (अ.सा. –02) ने उसके समक्ष सहायक उपनिरीक्षक डी.एस. सस्तिया द्वारा आरोपी ढोकलसिंह के विरूद्ध कार्यवाही नही किये जाने से स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है किन्तु उक्त साक्षीगण ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 एवं गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी 2 पर उनके हस्ताक्षर स्वीकार किये है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दोनों पंच साक्षीगण ने उनके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे थाना डही पर ड्रायवरी का कार्य करते है एवं सस्तिया साहब ने 2–3 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने कहा था तो उन्होंने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार उपरोक्त दोनों पंच साक्षीगण द्वारा अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा.–03) के न्यायालयीन कथनों का कोई समर्थन नही किया है एवं अभियोजन कहानी का भी नाममात्र समर्थन नही किया है।

(11). पंच साक्षीगण द्वारा अभियेाजन कहानी का नाममात्र भी समर्थन नही किये जाने से अभिलेख पर मात्र विवेचक एवं अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया

(अ.सा.–03) की साक्ष्य विद्यमान है जिसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में अभियोग पत्र के साथ रोजनामचा सान्हा की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है किन्तु उक्त रोजनामचा सान्हा को अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्ष्य के दौरान साक्ष्य में प्रदर्शित नही कराया गया है जिससे उक्त रोजनामचा सान्हा को साक्ष्य में ग्रहण नही किया जा सकता। धारा 25(1–बी)(बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध प्रमाणित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि जप्तीकर्ता की साक्ष्य के समय कार्यवाही दिनांक का रोजनामचा सान्हा अवश्य बुलवाना चाहिए एवं साक्ष्य में प्रमाणित करवाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही दिनांक का रोजनामचा सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है किन्तु जप्तीकर्ता की साक्ष्य के समय उक्त रोजनामचा सान्हा को प्रदर्शित नही कराया गया है।

(12). इस प्रकार उपरोक्त तथ्य के संबंध में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्व ारा समर्थन नही किये जाने से, पुलिस साक्षी के न्यायालयीन कथनों का अभाव होने से एवं रोजनामचा सान्हा को प्रदर्शित नही किये जाने से उसकी सत्यता का औचित्य प्रकरण में नही होने से सर्वप्रथम सूचनाकर्ता/अनुसंधानकर्ता स.उ.नि. डी.एस. सस्तिया की घटना स्थल पर उपस्थिति ही प्रमाणित नही होती है।

(13). अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा.–03) ने उसके न्यायालयीन कथनों में मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसने पंच साक्षी महेन्द्रसिह एवं रवि राठौड के समक्ष ढोकलसिह से फालिया जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 का बनाया था। अभियोजन साक्षी महेन्द्रसिंह (अ.सा.–01) एवं अभियोजन साक्षी रवि राठौड (अ.सा.–02) ने उनके समक्ष अभियुक्त से फालिया जप्त किये जाने से अस्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा. –03) ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 के चरण क्रमांक 13 पर नमुनासील अंकित नही है एवं उक्त जप्ती पत्रक के चरण क्रमांक 12 में मौके पर सील चपडी लगाकर साक्षियेां के समक्ष फलिया सीलबंद करने का कोई उल्लेख उसके द्वारा जप्ती पत्रक में नही किया गया है। जप्ती

पत्रक प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से जप्त किये गये फालिया को घटना स्थल पर सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख प्रदर्श पी 1 के पंचनामें नही है।

(14). अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा.–03) के न्यायालयीन कथनों के दौरान प्रकरण से संबंधित मुददेमाल नजारत अनुभाग से मंगाया जाकर उक्त साक्षी को दिखाया जाने पर उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसके द्व ारा यही फालिया अभियुक्त ढोकलसिंह से जप्त किया गया था। प्रकरण में जप्ती पत्रक पर नमुना सील अंकित नही होने एवं उक्त जप्तशुदा फालिया को मौके पर सीलबंद नही किये जाने का कोई उल्लेख नही होने से प्रकरण में सर्वप्रथम अभियुक्त से फालिया जप्त किया जाना ही संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में संबंधित मुददेमाल को उक्त साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा.–03) की साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित किये जाने से प्रकरण को बल प्राप्त नही होता है।

(15). इस प्रकार उपरोक्त तथ्य के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा.–03) द्वारा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 अनुसार की गई कार्यवाही मात्र अनौपचारिक रूप से की गई है। अभियुक्त से यदि उक्त फालिया जप्त किया गया है तब उक्त फालिया को नियमानुसार कपडे में सीलबंद कर सील चपडी से सीलबंद किया जाना चाहिये था किन्तु उक्त फालिया सील चपडी से सीलबंद नही किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 में यह उल्लेखित है कि डी.एस. सस्तिया द्वारा जप्त किये गये फालिये को एचसीएम के जिम्मे किया था। प्रकरण में यदि उक्त फालिया एचसीएम के जिम्मे किया गया था तब एचसीएम रजिस्टर में दर्ज कर उसे उनकी सुरक्षा में रखते है एवं उक्त संबंध में रजिस्टर में इंट्री की जाती है किन्तु उक्त रजिस्टर इस प्रकरण में प्रस्तुत नही किया गया है।

(16). हस्तगत प्रकरण में आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–बी)(बी) के अंतर्गत अपराध प्रमाणित किये जाने के लिये यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक

6312–6552(दो–बी) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन करते हुये सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के उसके आधिपत्य में धारदार फालिया रखा गया। किन्तु उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों से अभियोजन साक्षी डी.एस. सस्तिया (अ.सा. –03) द्वारा प्रकरण में अनुसंधानकर्ता के रूप में की गई जप्ती कार्यवाही के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। दांडिक प्रकरण को साबित किये जाने के लिये विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियेाजित अपराध अभियेाजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित किया जाना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधानकर्ता डी.एस. सस्तिया की घटना स्थल पर उपस्थिति से लेकर उसके द्व ारा की गई जप्ती कार्यवाही में भी संदेह उत्पन्न होता है। अतः संपूर्ण विवेचना से जब अभियुक्त के आधिपत्य से फालिया जप्त किया जाना ही प्रमाणित नही पाया गया है तब उसके संबंध में वैध अनुज्ञप्ति की अपेक्षा किया जाना ही निराधार है। उपरोक्त स्थिति के परिणाम स्वरूप उक्त संदेह का लाभ निश्चित ही अभियुक्त को दिया जाना चाहिये।

–: अवधारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) का निराकरण :–

(17). उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य विवेचन के समग्र विश्लेषण एवं उनके समेकित प्रभाव से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि अभियुक्त ढोकलसिंह ने दिनांक 21.06.2020 को समय शाम 05:20 से 05:30 बजे थाना डही के अंर्तगत अराडा रोड, डही अर्थात एक सार्वजनिक स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 6312–6552–(दो–बी) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन करते हुये एक लोहे का धारदार फालिया को वैध अनुज्ञप्ति के बिना आयुध अधिनियम की धारा 04 सहपठित धारा 43 के उल्लंखन में उसके आधिपत्य में रखा। परिणामतः अभियोजन अभियुक्त ढोकलसिंह के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)(बी) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है। अतः अभियुक्त ढोकलसिंह पिता देवीसिंह भीलाला को आयुध अधिनियम की धारा 25(1–बी)(बी) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से

दोषमुक्त कर प्रकरण से स्वतंत्र घोषित किया जाता है।

(18). अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है, अतः अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त कर निरस्त किये जाते हैं।

(19). प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का धारदार फालिया जिसके फल की लंबाई 15 इंच एवं चौडाई 2 इंच है, को अपील अवधि पश्चात कटर से काटकर अथवा गलाकर नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

(20). अभियुक्त द्वारा पुलिस अथवा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र पृथक से तैयार किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / –
(दिलीप माहोर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुक्षी जिला धार (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / –
(दिलीप माहोर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुक्षी जिला धार (म.प्र.)